

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद ।
सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा वर्तमान में निर्गत शासनादेश सं०-2942/2023/8-3099/1710/2020 दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (यथासंशोधित) में किये गये हैं। उक्त संशोधनों को प्राधिकरण बोर्ड की 134वीं बोर्ड बैठक में अंगीकृत कर लिया गया है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (यथासंशोधित) में शासन द्वारा किये गये संशोधनों का अवलोकन नया मुरादाबाद, दिल्ली रोड स्थित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, कार्यालय में प्रथम तल स्थित नियोजन अनुभाग में उक्त सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों की समयावधि में किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है।

सचिव,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद